रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223328
CG-DL-E-26112020-223328

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/आग्रहायण 4, 1942
No. 601] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.732(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय अंतर-विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन **(एनएम-आईसीपीएस)** के पद की नियुक्ति -पद्धति का विनियमिन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय अंतर-विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन (समूह 'क' पद) नियुक्ति नियम, 2020 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **नियुक्ति की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर नियुक्ति की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** –ऐसा कोई भी व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में मिशन निदेशक,** राष्ट्रीय अंतर-विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) के पद पर भर्ती या चयन के लिए सिफारिश करने के लिए तलाशी-सह-चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। तलाशी-सह-चयन समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्ति की जाएगी:

(1) सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग – अध्यक्ष;

(2) नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग या वैज्ञानिक विभाग अथवा मंत्रालय से एक अपर सचिव स्तर के अधिकारी जिन्हें सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित किया जाएगा – सदस्य;

(3) दो प्रतिष्ठित विशेषज्ञ अधिमानत: शैक्षणिक जगत और उद्योग जगत से एक-एक, जिन्हें सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं, लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना आवश्यक है।

अनुसूची

(1)	(2)	(3)
पद का नाम.	पद की संख्या.	वर्गीकरण.
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय अंतर साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन	एक (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	**साधारण केंद्रीय सेवा,** अननुसचिवीय,राजपत्रित,समूह, 'क'.

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक में स्तर.	क्या चयन पद या गैर-चयन पद है.	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
वेतन मेट्रिक्स में स्तर 14 (रु.. 144200-218200).	लागू नहीं.	लागू नहीं.
(7)	**(8)**	**(9)**
सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक और अन्य अपेक्षित अर्हता ।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता प्रोन्नति मामले में भी लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि है, तो .
आवश्यक अर्हताएं और **अनुभव**: लागू नहीं । वांछनीय अर्हता और और अनुभव: लागू नहीं।	**आयु** : लागू नहीं । **शैक्षणिक अर्हता**: लागू नहीं ।	लागू नहीं।

(10)	(11)
भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में किस श्रेणी से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है।
अल्प कालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा शत प्रतिशत।	अल्पकालीन संविदा सहित प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्रों, स्वायत्त अथवा कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी, जो (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों ; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मेट्रिक्स (131100-216600 रूपए) या समतुल्य में स्तर 13 क में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष तक सेवा कर चके हों अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मेट्रिक्स (123100-215900 रू.) या समतुल्य में स्तर 13 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हों ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ; **आवश्यक:** (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में मास्टर डिग्री ; (ii) औद्योगिक और शैक्षिक संस्थाओं अथवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठनों अथवा वैज्ञानिक क्रियाकलापों एवं सेवाओं में अनुसंधान एवं विकास में पंद्रह वर्षो का अनुभव, जिसमें से सात वर्षों का अनुभव संगठन के प्रशासन, आयोजना, विकास एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के समन्वयन में हो ; (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के निर्माण, प्रबंधन एवं निर्देशन का अनुभव; (iv) विख्यात पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन। **वांछनीय:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में डॉक्टरेट डिग्री अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में पोस्ट-डॉक्टरेट अनुसंधान जो कि ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के प्रमाणन से प्रमाणित किया गया हो और विख्यात पत्रिका में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन । **टिप्पण 1:** आवश्यक अर्हताओं को प्राप्त करने में व्यतीत की गई अवधि अनुभव में नहीं जोड़ी

	जाएगी और अनुभव न्यूनतम आवश्यक अर्हता प्राप्त करने के बाद अर्जित किया जाना अपेक्षित है। तथापि विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान संस्थान में पोस्ट-डॉक्टरेट अनुसंधान में व्यतीत की गई अवधि ऐसे विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के प्रमाणन से प्रमाणित की गई हो और प्रतिष्ठित पत्रिका में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन, अधिकतम दो वर्ष तक, अनुभव के रूप में जोड़ा जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, पांच वर्ष से साधारणतया अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन-प्राप्ति की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है, यदि हां तो उसकी संरचना का विवरण दें।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है**
लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.- ए-12040/01/2019-स्था.III]

अंजू भल्ला,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2020

G.S.R.732(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of the post of Mission Director, National Mission on Interdisciplinary Cyber- Physical Systems (NM-ICPS) in the Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology, namely: –

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Mission Director, National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age - limit and qualifications. etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. There shall be a Search-cum-Selection Committee with the following composition for making recommendation for recruitment or selection to the post of Mission Director, National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical System in the Department of Science and Technology. On recommendation of

the Search-cum-Selection Committee, the appointment shall be made by the Appointments Committee of the Cabinet:

(1) The Secretary, Department of Science and Technology – Chairman;
(2) One Additional Secretary level officer from National Institution for Transforming India Aayog or Scientific Department or Ministry to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology – Member;
(3) Two experts of eminence preferably one each from academia and industry to be nominated by Secretary, Department of Science and Technology – Members.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient, so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)
Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**
Mission Director, National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems.	One (2020) *Subject to variation dependent on workload.	**General Central Service,** Non-Ministerial, Gazetted, Group, 'A'.
(4)	**(5)**	**(6)**
Level in pay matrix.	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
Level 14 in the pay matrix (Rs. 144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.
(7)	**(8)**	**(9)**
Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**	**Period of probation if any.**
Essential Qualifications and Experience: Not applicable. Desirable Qualification and Experience: Not applicable.	Age : Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.	Not applicable.
(10)	**(11)**	
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	
100 per cent by deputation including short term contract.	Deputation including short term contract: Officers of the Central Government, State Governments, Union territories, autonomous or statutory organisation, public sector undertaking, University or recognised research institution. (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 13A in the pay matrix (Rs. 131100-216600) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900) or equivalent in the parent cadre or department; and	

	(b) possessing following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Doctorate degree in Natural or Agricultural Sciences or Masters degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or institute; (ii) Fifteen years experience in research and development in industrial and academic institutions or science and technology organisations or scientific activities and services, out of which seven years shall be in administration, planning, development of organisation and coordination of science and technology programme; (iii) Experience of evolving, managing and directing science and technology programme; (iv) published research work in journals of repute. **Desirable**: Doctorate degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or institute or Post Doctorate research in Natural or Agricultural Sciences from a recognised University or research institute as evidenced by certification by such University or institute and publication of research work in journals of repute. **Note 1:** Period spent on acquiring essential qualifications shall not count towards experience and experience is required to be acquired after obtaining the minimum essential qualification. However, period spent on post doctorate research in a University or research institute as evidenced by certification by such University or institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-eight years as on the last date of receipt of applications.

(12)	**(13)**
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
Not applicable.	Union Public Service Commission consultation is not necessary.

[F. No. A-12040/01/2019-E.III]

ANJU BHALLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM